## भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र

भीग्ट: बेहर इंदीर-452013

गंदर्भ: 14/05/2020/जीएसी/ 💆 १ 2

19 मार्च, 2021

विषय: आरआरकेट सीएचएसएस लाभार्थियों द्वारा चाँइथराम अस्पताल और अनुसंधान केंद्र (CHRC) एवं अरिहंत अस्पताल और अनुसंधान केंद्र (AHRC), इंदौर के माध्यम से कोविड-19 के टीकाकरण की सुविधाएँ प्राप्त करने विषयक।

स्वारथ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 60 वर्ष से अधिक असु के लाभार्थियों और 45 से 60 वर्ष की आसु के ऐसे लाभार्थी जिन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुलग्न I(A) में उल्लिखित लक्षण (को-मॉर्विडिटीज) हैं, उन सभी के लिए कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत की है (दिशानिर्देश दस्तावेज COWIN 2.0 MoHFW website.docx पर उपलब्ध हैं)।

- 2. तदनुसार, इस केंद्र ने भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र श्रेणियों के आरआरकेट होणिचएसएस लाभार्थियों के टीकाकरण के लिए रेफरल आधार पर चॉडथराम अस्पताल और अनुसंधान केंद्र (CHRC) एवं अस्टिंत अस्पताल और अनुसंधान केंद्र (AHRC), इंदौर (कोविड-19 टीकाकरण के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्र) के साथ एक करार किया है।
- 3. उपरोक्तानुसार, 60 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थी आरआरकेट मेडिकल सेंटर से रेफरल लेटर और 45 से 60 वर्ष की आयु के ऐसे लाभार्थी जिन्हें को-मॉर्विडिटीज हैं, वे आरआरकेट मेडिकल सेंटर से निर्धारित प्रारूप में चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा रेफरल लेटर प्राप्त कर क्रेडिट आधार पर चाँइथराम अस्पताल और अनुसंधान केंद्र एवं अरिहंत अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, इंदौर से कोविड-19 टीकाकरण सुविधा का लाभ ले सकते हैं। टीकाकरण का खर्च विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
- 4. सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले और टीका लगवाने के इच्छुक आरआरकेट के सभी सीएचएसएस लाभार्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे टीकाकरण के लिए सीएचआरमी और एएचआरमी जाने से पहले www.cowin.gov.in पर COWIN वेबसाइट या आरोग्यसेतु ऐप के माध्यम से स्वयं को पंजीकृत करें।
- 5. आरआरकेट सीएचएसएस लाभार्थियों की पात्र श्रेणियों के टीकाकरण के लिए इस केंद्र के अन्य सृचीदद्ध अस्पतालों में भी व्यवस्था हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। शेष सीएचएस लाभार्थियों का टीकाकरण सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुभार किया जाएगा।
- इसे निदेशक, आरआरकेट के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डी सी मीणा)

प्रशासनिक अधिकारी- III

सभी कर्मचारी-मेल-ऑल के माध्यम से।

मचनार्थ प्रतिनिपि:

- निदंशक कार्यालय, आरआरकेट
- 2. डॉ. अनिल रावत, अध्यक्ष, एमीआरएमसी
- 3. इॉ. जेड. यी. मिर्जा, प्रभारी, चिकित्सा केंद्र, आरआरकेट
- इीमीए, आरआरकेट

## Government of India Department of Atomic Energy Raja Ramanna Centre for Advanced Technology

Post: CAT Indore -452013

Ref: 14/05/2020/GAC/392

March 19, 2021

Sub: AVAILING FACILITIES FOR COVID-19 VACCINATION BY RRCAT CHSS BENEFICIARIES FROM CHRC INDORE & AHRC INDORE.

Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, has started the 2<sup>nd</sup> phase of COVID vaccination to cover beneficiaries above 60 years of age and those aged from 45 to 60 years and having co-morbidities as mentioned in Annexure I (A) of Circular issued by the Ministry of Health and Family Welfare (Guidance doc COWIN 2.0 MoHFW website.docx)

- 2. Accordingly, this Centre has entered into an agreement with Choitram Hospital & Research Centre (CHRC) and Arihant Hospital & Research Centre (AHRC), Indore (recognized Centres for COVID-19 vaccinations by Government authorities) for vaccination of eligible categories of RRCAT CHSS beneficiaries on referral basis as per the guidelines issued by the Government from time to time.
- 3. In view of the above, the beneficiaries above 60 years may obtain referral letters and beneficiaries aged between 45 to 60 years and having co-morbidities may obtain medical certificate in the prescribed format alongwith referral letter from RRCAT Medical Centre and avail vaccination facility from Choitram Hospital & Research Centre and Arihant Hospital & Research Centre, Indore on credit basis. The cost of vaccination will be borne by the Department.
- 4. Before visiting CHRC and AHRC for vaccination, all the RRCAT CHSS beneficiaries fulfilling the criteria prescribed by the Government and who are desirous of taking vaccination are advised to register themselves on COWIN website at <a href="https://www.cowin.gov.in">www.cowin.gov.in</a> OR via ArogyaSetu app.
- 5. Arrangements are being made for vaccination of eligible categories of RRCAT CHSS beneficiaries in other empanelled Hospitals of this Centre recognized by the Government for the purpose. Vaccination of remaining CHSS beneficiaries will be carried out as per directives issued by the Government from time to time.
- 6. This is issued with the approval of Director, RRCAT.

(D C Meena ) Administrative Officer-III

All employees through mail-all.

Copy for information to:

- 1. Director's Office, RRCAT
- 2. Dr. Anil Rawat, Chairman, ACRMC
- 3. Dr. Z. B. Mirza, I/c RMC, RRCAT
- 4. DCA, RRCAT